न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आपूर्ति अपील वाद संख्या– 04/2013

इन्द्रजीत पासवान बनाम राज्य

आदेश

4.3.15

प्रशासनिक व्यस्तता के कारण लिखित से आदेश पारित किया जा रहा है

प्रस्तुत आपूर्ति अपील अपीलार्थी इन्द्रजीत पासवान जन वितरण प्रणाली बिक्रेता, ऐना द्वारा उनकी जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति संख्या– 370/2007 को रद्ध किये जाने संबंधी अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक 1437 गो० दिनांक– 26.09.2012 द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

इससे पूर्व अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध आवेदक ने मान्नीय उच्च न्यायालय में सी०डब्लू०जे०सी० संख्या– 1016/2013 दायर किया था। आवेदक द्वारा अपील दायर करने हेतु वाद को वापस लेनेकी प्रार्थना पर मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक– 18.01.2013 को आदेश पारित कर तीन सप्ताह के अन्दर अपील दायर करने, विलम्ब क्षान्त कर मामले की सुनवाई उपरान्त विधि सम्मत आदेश पारित करने का निदेश है।

अपीलार्थी का कहना है कि उन्होंने कभी कोई अनियमित कार्य नहीं किया है एवं बिना जॉच–पड़ताल के अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति रद्ध कर दी गयी है। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा –सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी को अपीलार्थी के विरूद्ध यदि कोई अनियमितता का आरोप पाया गया था तो उन्हें सर्वप्रथम अनुज्ञप्ति को निलम्बित कर आवेदक को अपने बचाव में पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए था। किसी भी पदाधिकारी द्वारा लगाये गये आरोपों की जॉच स्थल पर नहीं की गयी है। गलत एवं बनावटी आरोप पर ऐसा सख्त कार्रवाई अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था। बिना सत्यापन, निलम्बन के अनुज्ञप्ति रद्ध किया जाना अनुचित न्याय के प्रतिकूल गलत मंशा एवं न्याय के प्रतिकूल कहा गया है। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि वे अनुसूचित जाति से आते हैं तथा आज तक निपयम के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं किया है। अगर अपीलार्थी के विरूद्ध कोई कागजात पाया जाता है तो यह निश्चित रूप से उनके दुश्मनों की साजिश है। इनका यह भी कहना है कि अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के दौड़ में और भी लोग थे जिन्हें अनुज्ञप्ति नहीं मिलने के कारण वे अपीलार्थी से बैर–भाव रखते हैं। वर्ष 2007 से आज तक न तो इनके विरूद्ध कोई शिकायत रही है और न ही इन्हें कभी निलंबित या दण्डित किया गया है। आम लोगों ने आवेदन के माध्यम से इनके कार्य–कलाप पर संतोष व्यक्त किया है। अन्ततः अपीलार्थी ने अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्ध किये जाने संबंधी पारित आदेश को निरस्त करने की याचना की है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों को अवलोकन किया।

निम्न न्यायालय अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक– 29.05.2012 को मुखिया ग्राम पंचायत, ऐना की अध्यक्षता में आहूत पंचायत स्तरीय निगरानी–सह–अनुश्रवण समिति की बैठक के प्रस्ताव संख्या–2 में कहा गया है कि– "वार्ड नं०– 8, 4, 5 के डीलर इन्द्रजीत पासवान के द्वारा कभी भी सही समय से राशन–किरासन का वितरण नहीं किया गया। जिससे उपभोक्ताओं में काफी आक्रोश है। तीनों वार्डो के सदस्यों से पूछे जाने पर जानकारी मिली कि जून 2011 से राशन–किरासन का वितरण नहीं हुआ। उपभोक्ता जब राशन–किरासन के लिए गया तब गाली–गलौज करते हुए कहा गया कि तुमलोग विधायक, बी०एस०ओ० के यहाँ मेरा शिकायत किया तो भी मेरा क्या बिगड़ा। और जहाँ–जहाँ शिकायत करना है करो, सबको देख लेंगे। वार्ड सदस्य एवं मुखिया द्वारा कहने के बावजूद विगत कई महीनों से कोई सुधार नहीं हुआ बल्कि मनमाना रूप से राशन–किरासन का कालाबाजारी किया जाता है। जिससे उपभोक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि डीलर पर किसी तरह की कार्रवाई आज तक नहीं हो पाया है। मुखिया एवं वार्ड सदस्यों द्वारा उपभोक्ताओं के बीच सर्वेक्षण में जून 2011 से मई 2012 तक राशन किरासन का दूकान उपभोक्ताओं के पास ही पाया गया। इसलिए सही सत्यापन एवं निरीक्षण के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डीलर इन्द्रजीत पासवान का अनुज्ञप्ति रद्ध कर किसी दूसरे डीलिर के द्वारा राशन–किरासन का वितरण कराया जाए। "

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, महिषी ने अपने पत्रांक 114 दिनांक– 07.07.2014 द्वारा पंचायत स्तरीय निगरानी –सह–अनुश्रवण समिति द्वारा पारित प्रस्ताव तथा पूर्व में भी प्राप्त अनेक शिकायत के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति रद्ध करने की अनुशंसा अनुमण्डल पदाधिकारी से की थी। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में यह भी प्रतिवेदित किया है कि दूकान की जॉच हेतु स्थल निरीक्षण के समय कहीं कोई बोर्ड या सूचनापट्ट भी नहीं लगा था। अपीलार्थी से वितरण एवं स्टॉक पंजी की मांग करने पर बतलाया गया कि सभी पंजी सहरसा में है तथा चार–पॉच माह व्यतीत हो जाने पर भी उक्त पंजी उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, महिषी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक 1029 दिनांक– 10.07.2012 द्वारा अपीलार्थी से कारण–पृच्छा की मांग की गयी। अपीलार्थी द्वारा दिनांक– 16.07.2012 को समर्पित कारण–पृच्छा पर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, महिषी से पुनः जॉच प्रतिवेदकन की मांग की गयी। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, महिषी के पत्रांक 136–2 दिनांक– 24.09.2012 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया कि–

01. श्री पासवान का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है तथ अनुश्रवण समिति द्वारा लगाये गये आरोप गलत साबित नहीं होते हैं।

02. श्री पासवान द्वारा भंडार एवं वितरण पंजी प्रस्तुत नहीं कर कुल 72 उपभोक्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित अपने पक्ष में समप्रित बयान उल्लिखित पंजियों का स्थान नहीं ले सकता।

03. श्री पासवान के इस कथन को कि वे प्रतिदिन दुकान पर बोर्ड लगाते हैं सरासर गलत है। क्योंकि श्री पासवान को पूर्व सूचना देकर दूकान की जॉच की गयी थी और उस रोज मौसम भी साफ था।

04. श्री पासवान के इस तर्क को भी जॅच पदाधिकारी ने बिल्कुल असत्य बतलाया है कि विगत वर्षो का भंडार एवं वितरण पंजी निरस्त कर दिया गया है बल्कि जॉच पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि विगत वर्ष की पेंजी को वर्षात में Close (क्लौज) कर उसे सुरक्षित रखने हेतु विक्रेता के जिम्मे रखा जाता है, ताकि निरीक्षण के क्रम में उसे प्रस्तुत किया जा सके।

इस तरह प्राप्त कारण–पृच्छा एवं जॉच प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक 1437 गो0 दिनांक– 26.09.2012 द्वारा अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति रद्ध कर दी गयी है। अनुमण्डल पदाधिकारी सदर द्वारा पारित आदेश त्रुटि रहित एवं न्यायोचित है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः प्रस्तुत अपील वाद खारीज (Dismiss) किया जाता है।

06.3.15

ज्ञापांक 510-2 /जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 10 मार्च, 2015 ई. ।

प्रतिलिपि– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिले के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/3/15

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

7.3.15